

04/08
22

पञ्जावली आज जमीनार्य अधिवक्ता एवं पक्षकारण
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत जमीन विद्वा
के साथ प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
अनुसार जमीनार्य एवं रेस्पॉन्डेंट्स के मध्य
संचालित नियमित वाद अन्तर्गत धा.टी 88-188-201
RTA न्यायालय उपजल्ल इन्फिन्ट्री हरीसाही अन्तर्गत
निर्धारित प्रकरण संख्या 44/2019 क्रियम क्रिमांक 136/22
के अनुसार विवादकों का समुचित निराकरण हो चुकी
है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथी जमीनार्य स्वीकार किया
जाता है तथा न्यायालय राजा से जारी कसबाई निर्णय
व्याख्या क्रिमांक 06/01/2020 सहित जमीन जमीनार्य
विद्वा। फिसल की जाती है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)